

GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAY/रेल मंत्रालय
(Railway Board)

S.No. PC-VI/268
No. PC-V/98/11/11/23(Pt)


RBE No. 106/2011
New Delhi, dated 14-7-2011

The General Managers,
All Indian Railways and
Production Units.
(As per mailing list)

Sub: Earmarking of posts for promotion of non-Appendix-3 qualified Accounts Assistants in the merged cadre of Sr. SO (A/cs.) and SO (A/cs.).

As the Railways are aware, in terms of Board's letter of even number dated 05-4-2007 (RBE No. 54/2007) 5% of posts of SO (A/cs.) were earmarked for promotion of non-Appendix-3 IREM Exam qualified Accounts Assistants. In view of merger of the grades of SO (A/cs.) and Sr. SO (A/cs.) based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission, the issue has been considered by the Board and it has been decided that the 5% posts of erstwhile SO (A/cs.) earmarked vide letter *ibid* for promotion of Accounts Assistants not qualified in Appendix-3 Examination and designated as Sr. Accounts Assistants be frozen w.e.f. 05-4-2007 and that these 5% posts would now be equivalent to 1% of the merged cadre of Sr. SO (A/cs.) and SO (A/cs.).

3. These orders take effect from 05-4-2007.
4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.
5. ACS No. 217 to sub para 6 of para 171, IREM, Vol-I, Revised Edition 1989 is also enclosed.
6. Hindi version is enclosed.



(N.P. Singh)

Deputy Director, Pay Commission-V
Railway Board

No. PC-V/98/11/11/23(Pt)

New Delhi, dated 14-7-2011

Copy (with 40 spares) forwarded to ADAI (Railways), New Delhi.



For Financial Commissioner, Railways

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

क्रम सं. पीसी-VI/268
सं. पीसी-V/98/1/11/23 (पार्ट)


रे.बो. स्था. सं. 106 /2011
नई दिल्ली, दिनांक 14.07.2011

महाप्रबंधक
सभी भारतीय रेलें
एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी (लेखा) और अनुभाग अधिकारी (लेखा) के विलय किए हुए संवर्ग में गैर-परिशिष्ट-III परीक्षा पास लेखा सहायकों की पदोन्नति के लिए पदों का निर्धारण।

जैसा कि रेलों को अवगत है कि बोर्ड के दिनांक 05.04.2007 (आरबीई सं.54/2007) के समसंख्यक पत्र के अनुसार अनुभाग अधिकारी (लेखा) के 5% पद गैर-परिशिष्ट-III आईआरईएम परीक्षा पास लेखा सहायकों की पदोन्नति के लिए निर्धारित थे। छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अनुभाग अधिकारी (लेखा) और वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी (लेखा) के ग्रेड के विलय को देखते हुए, इस मामले पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया है और यह विनिश्चय किया गया है कि ऐसे लेखा सहायकों जिन्होंने परिशिष्ट-3 की परीक्षा पास नहीं की है, की पदोन्नति के लिए उक्त पत्र में निर्धारित पूर्ववर्ती अनुभाग अधिकारी (लेखा) जिसे वरिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है, के 5% पदों को 5.4.2007 से फ्रीज कर दिया जाए और ये 5% पद अब वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी (लेखा) और अनुभाग अधिकारी (लेखा) के विलय किए हुए संवर्ग के 1% के समकक्ष होंगे।

3. ये आदेश 05.04.2007 से प्रभावी होंगे।
4. इस मामले को रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।
5. भारतीय रेल स्थापना नियमावली, भाग I (संशोधित संस्करण-1989) के पैरा 171 के उप पैरा 6 की अग्रिम शब्धि पर्ची सं.217 भी संलग्न है।



(एन. पी. सिंह)
उप निदेशक, वेतन आयोग-V
रेलवे बोर्ड

Indian Railway Establishment Manual, Vol-I, 1989 Revised Edition

Advance Correction Slip No.217

Substitute the following for existing sub para 6 of para 171 Chapter I, Section 'B', Sub-section-III, Rules regarding Recruitment & Training:

(6) The posts in the next higher grade, PB-2(Rs.9300-34800), Grade Pay Rs.4800 will be filled as under:

(i) 1% post of the merged cadre of Sr. SO (A/cs.) and SO (A/cs.) to be designated as Senior Accounts Assistants, in PB-2(Rs.9300-34800), GP Rs.4800 will be filled by non-Appendix-3 Exam qualified Accounts Assistants with twelve years service or more as Accounts Assistant, on seniority-cum-suitability basis. Senior Accounts Assistants will not be eligible for further promotion to the post of Assistant Accounts Officer in PB-2(Rs.9300-34800), GP Rs.5400.

(ii) 99% posts of the merged cadre of Sr. SO (A/cs.) and SO (A/cs.) **and all the posts of Sr. Inspectors of Store Accounts (ISA) and Sr. Travelling Inspectors of Accounts (TIA)** will be filled by promotion of Appendix-3 Exam qualified staff, according to the group for which they opt, strictly according to order in the Appendix-3 Exam panel and direct from the grade in which they are working.

Provided that in the event of non availability of App III qualified staff for promotion as Sr. Section Officers (A/cs), Sr. Inspectors of Stores Accounts (ISA) and Sr. Travelling Inspectors of Accounts (TIA), the posts may be filled by transfer on deputation of staff holding analogous posts under the Comptroller & Auditor General of India, Central/State Governments on terms and conditions contained in Rule 2023 of Indian Railway Establishment code Vol. II (First Reprint) 1990 with further condition that such deputationists may be repatriated prematurely to their parent cadre as and when and to the extent qualified Departmental App-III Accounts Staff become available and eligible for promotion.

(Authority Board's letter No. E(NG)/I/2004/PM9/6dt. 16-08-05, PC-V/98/I/11/23(Pt) dt 14.7. 2011)

भारतीय रेल स्थापना नियमावली, भाग-I (संशोधित संस्करण-1989)

अग्रिम शुद्धि पृची सं.217

अध्याय 1, खंड 'ख', उप खंड III, भर्ती और प्रशिक्षण से संबंधित नियमों के पैरा 171 के मौजूदा उप पैरा 6 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए:-

(6) अगले उच्चतर ग्रेड, पे बैण्ड-2 (9300-34800 रु.), ग्रेड पे 4800 रु. के पदों को निम्नानुसार भरा जाएगा:

(i) वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी (लेखा) और अनुभाग अधिकारी (लेखा) के विलय किए हुए संवर्ग के 1% पदों को पे बैण्ड-2 (9300-34800 रु.), ग्रेड पे 4800 रु. में वरिष्ठ लेखा सहायकों के रूप में पदनामित किया जाएगा और इन्हें गैर-परिशिष्ट-III परीक्षा पास लेखा सहायकों, जिन्होंने लेखा सहायक के रूप में बारह वर्ष या उससे अधिक की सेवा की हो, में से वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर भरा जाएगा। वरिष्ठ लेखा सहायक, पे बैण्ड-2 (9300-34800 रु.), ग्रेड पे 5400 रु. में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर अगली पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे।

(ii) वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी (लेखा) और अनुभाग अधिकारी (लेखा) के विलय किए हुए संवर्ग के 99% पद और वरिष्ठ भंडार लेखा निरीक्षक (आईएसए) एवं वरिष्ठ चल लेखा निरीक्षक (टीआईए) के सभी पदों को परिशिष्ट-3 की परीक्षा पास कर्मचारियों द्वारा उस समूह के अनुसार जिसके लिए वे विकल्प देते हैं एवं परिशिष्ट-3 परीक्षा पैनल के क्रम के अनुसार और सीधे उसी ग्रेड से पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा, जिसमें वे कार्य कर रहे हैं।

बशर्ते कि वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी (लेखा), वरिष्ठ भंडार लेखा निरीक्षक (आईएसए) एवं वरिष्ठ चल लेखा निरीक्षक (टीआईए) के रूप में पदोन्नति के लिए परिशिष्ट-III परीक्षा पास कर्मचारियों के उपलब्ध न होने के मामले में पदों को, भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-II (प्रथम पुनःमुद्रण) 1990 के नियम 2023 में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, केन्द्र/राज्य सरकारों के अंतर्गत सदृश पद वाले कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित करके भरा जाएगा और उसमें यह भी शर्त होगी कि प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले कर्मचारी को आवश्यकता पड़ने और विभागीय परिशिष्ट-III पास लेखा कर्मचारी के उपलब्ध होने तथा पदोन्नति के लिए पात्र होने पर उसके मूल संवर्ग में पहले ही भेज दिया जाएगा।

[प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक 16.08.2005 का पत्र सं.ई (एनजी)-I/2004/पीएम9/6, दिनांक 14.07.2011 का पत्र सं.पीसी-V/98/1/11/23 (पार्ट)]